ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) नाहन, जिला सिरमौर (हिमाचल प्रदेश) की उपयोक्ता प्रभार निधियों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अंकेक्षण अवधि 12/05 से 3/14

1 प्रारम्भिकः–

(क) हिमाचल प्रदेश सरकार, परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0–एफ (1) 3/2000, ई–गवर्नेन्स दिनाँक 3.09.05 के अन्तर्गत प्रदेश सरकार की ई–गवर्नेन्स सोसाईटीयों की परिवहन विभाग से सम्बन्धित निधियों का अंकेक्षण स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) नाहन, जिला सिरमौर के अवधि 12/05 से 03/2014 से सम्बन्धित लेखाओं का वर्तमान एवं प्रथम अंकेक्षण स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के अनुभाग अधिकारी श्री विरेन्द्र कुमार चौधरी द्वारा दिनांक 13.1.15 से 13.2.15 के दौरान जिलाधीश कार्यालय नाहन में किया गया। ई–गवर्नेन्स सोसाईटी सिरमौर का गठन सभायें पंजीकरण अधिनियम XXI, 1860 (हिमाचल प्रदेश संशोधित अधिनियम 1973) के अन्तर्गत पंजीकरण संख्या 409/2005 के अन्तर्गत हुआ। वर्तमान अंकेक्षण के दौरान आय की विस्तृत जाँच हेतु माह 12/05, 11/06, 1/08, 5/08, 1/10, 9/10, 12/11, 10/12 व 9/13 तथा व्यय की विस्तृत जाँच हेतु माह 12/05, 2/07, 4/07, 9/08, 8/09, 7/10, 12/11, 3/13 तथा 9/13 के लेखाओं का चयन किया गया।

(ख) अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित अधिकारी ई–गवर्नेन्स सोसाईटी सिरमौर के अध्यक्ष व सचिव पद पर कार्यरत रहेः–

अध्यक्ष

नाम	पद	अवधि
श्री आर0एस0 नेगी	अध्यक्ष	14.7.05 से 18.1.08
श्री पुष्पेन्द्र राजपूत	अध्यक्ष	18.1.08 से 18.6.09
श्री पदम सिंह चौहान	अध्यक्ष	6.7.09 से 29.1.11
श्रीमती मीरा मोहन्ती	अध्यक्ष	29.1.11 से 30.4.12
श्री पदम सिंह चौहान	अध्यक्ष	30.4.12 से 4.1.13
श्री प्रियतु मण्डल	अध्यक्ष	4.1.13 से 4.7.13
श्री विकास लाबरू	अध्यक्ष	4.7.13 से 27.8.14

सदस्य सचिव

नाम	पद	अवधि
श्री हिमांशु शेखर	सदस्य सचिव	18.4.02 से 15.9.05
श्री राजेश कुमार	सदस्य सचिव	15.9.05 से 14.6.07
श्री एम0एल0 मेहता	सदस्य सचिव	15.6.07 से 1.11.07
श्री जय चन्द शर्मा	सदस्य सचिव	5.11.07 से 30.9.08
श्री सन्दीप सूद	सदस्य सचिव	7.10.08 से 5.4.10

श्री हिमेश नेगी	सदस्य सचिव	5.4.10 से 19.5.11
श्री देवेन्द्र कंवर (एल0आर0)	सदस्य सचिव	13.6.11 से 30.11.13
श्री टी0डी0 भारद्वाज	सदस्य सचिव	1.8.11 से 7.12.11
श्री कृष्ण चन्द	सदस्य सचिव	8.12.11 से 5.5.12
श्री राकेश कुमार	सदस्य सचिव	12.6.12 से 11.8.12
श्री सुरेश कुमार भारद्वाज	सदस्य सचिव	12.9.12 से 20.2.13
श्री राना प्रितपाल सिंह	सदस्य सचिव	22.2.13 से 31.1.14
श्री सुधीर कुमार	सदस्य सचिव	4.2.14 से 19.6.14

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

क्र0सं0	पैरा सं0	विवरण	₹ लाखों में
1	6	हिमाचल प्रदेश राज्य इलैक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन शिमला को कमपयूटर हार्डवेयर सामग्री की खरीद हेतु किए गए भुगतान से सम्बन्धित अनियमितताएं	2.96
2	7	सहायक अभियन्ता, इलैक्ट्रिकल पी0डब्लयू0डी0 नाहन को प्रतिपूर्ति के आधार पर भुगतान की गई राशि को उचित स्त्रोत से वापिस न लेने बारे में	1.50
3	8	एयर कण्डीशनर इत्यादि की खरीद हेतु किए गए भुगतान से सम्बन्धित अनियमितताएं	0.84
4	9	मै0 ग्रीन डिपार्टमैन्टल स्टोर पौंटा साहिब से 15 नम्बर एक्वागार्ड की खरीद पर किए गए भुगतान से सम्बन्धित अनियमितताएं	1.64
5	10	Bio-Metric Attendence Machine के क्रय हेतु अनियमित भुगतान करना	0.65
6	11	अध्यक्ष बार एसोसिएशन नाहन को फर्नीचर के क्रय हेतु अनियमित भुगतान करना	0.50
7	12	औपचारिकताऐं पूर्ण किये बगैर ही कार्यालय प्रयोग हेतु Revolving Chairs की खरीद करना	1.36
8	13	वाहन संख्या एच0पी0–79–0003 की Asseseries हेतु श्री धर्म सिंह (जिला नाजर) को ऋण के रूप में भुगतान की गई राशि को वापिस न लेने बारे में	0.50
9	16	उपमण्डल अधिकारी (ना0) संगडाह को Refrence Books इत्यादि की खरीद हेतु अनियमित भुगतान करना	1.00
10	17	उप मण्डल अधिकारी (ना0) संगडाह को फर्नीचर इत्यादि की खरीद के लिए ऋण के रूप में अनियमित भुगतान करना	0.86
11	18	20 नम्बर NCL 300 Terminar की खरीद हेतु मैसर्ज Next Genration कम्पयूटर चण्डीगढ़ को किए गए भुगतान से सम्बन्धित अनियमितताएं	1.65

(घ) यह अंकेक्षण प्रतिवेदन ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) नाहन द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं एवं अभिलेख क आधार पर अंकेक्षण किया गया है। उक्त सोसाईटी द्वारा प्रदान किसी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो प्रदान नहीं की गई है की स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है।

2 अंकेक्षण शुल्कः–

ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) नाहन के अवधि 12/05 से 3/14 के लेखों हेतु अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर कुल **₹**20000/– आंका गया। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने के लिए इसे निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमालच प्रदेश शिमला–9 को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजने हेतु अनुभाग अधिकारी की अंकेक्षण अधियाचना संख्या एल0ए0 (बी0के0) 2014–15 (सिरमौर)–115 दिनांक 13.2.15 द्वारा सदस्य सचिव, ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) नाहन से अनुरोध किया गया।

3 वित्तीय स्थितिः–

(क) ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) नाहन की रोकड़ बही व बैंक विवरणी में आय–व्यय की प्रविष्टियों के आधार पर संस्था द्वारा तैयार की गई वित्तीय स्थिति का विवरण **परिशिष्ट "क"** पर संलग्न है, तथा जिला सिरमौर के अन्तर्गत विभिन्न (RLAs) से अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त आय की राशियों का विवरण **परिशिष्ट "ख"** पर दिया गया है। वित्तीय स्थिति की जाँच करने पर पाया गया कि केन्द्रीय ईकाई की वित्तीय स्थिति में आय के रूप में दर्शाई राशियो तथा विभिन्न (RLAs) तथा अन्य अथौरटीज से प्राप्त की गई राशियों के आंकड़ों में भिन्नता पाइ गई जिसके कारण स्पष्ट किए जाएं तथा विभिन्न (RLAs) तथा अन्य अथौरटीज में प्राप्त राशियों का मिलान भी सम्बन्धित (RLAs) तथा अन्य अथौरटीज से किया जाए। उपरोक्त के अतिरिक्त सोसाईटी द्वारा माह 8/2013 से विभिन्न (RLAs) तथा अन्य अथौरटीज से प्राप्त राशियों को रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया है तथा वर्ष 2013–14 से सम्बन्धित वित्तीय स्थिति में खाता संख्या 000032886916222 में जमा राशियों तथा भुगतानों को बैंक खाते के आधार पर वित्तीय स्थिति में शामिल किया गया है।

4 निवेशः–

अंकेक्षण अवधि के दौरान ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) नाहन के खाते से किसी भी राशि का निवेश सावधि जमा योजना के अन्तर्गत नहीं किया गया है। अतः सावधि जमा योजना में अन्तर्गत राशियों को निवशित न करने का कारण स्पष्ट करते हुए तथा इस

सन्दर्भ में संस्था स्तर पर आन्तरिक जाँच करके अविलम्ब बचत खातों में पड़ी अधिक्य राशि का समुचित भाग सावधि जमा योजना के अन्तर्गत निवेशित करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

5 बैंक द्वारा Intercity Charges काटे जाने के कारण ₹8469 की हानिः–

जाँच के दौरान पाया गया कि दिनांक 16.8.13 से सभी (RLAs) द्वारा User Charges की राशि अध्यक्ष, ई–गवर्नेन्स सोसाईटो (केन्द्रीय ईकाई) नाहन के भारतीय स्टेट बैंक के खाता संख्या 0000032886916222 में सीधे तौर पर ही जमा करवाई जा रही है तथा विभिन्न स्थानों से राशियाँ जमा करवाने के कारण बैंक द्वारा दिनांक 16.8.13 से 31.3.14 के दौरान Intercity Charges के रूप में ₹8469/– काटे गये है। यदि सम्बन्धित आर0एल0ए0 द्वारा यह राशियाँ जमा करते समय यह प्रमाणित कर दिया होता कि यह एक राजकीय transaction है तो बैंक द्वारा उपरोक्त वर्णित Intercity Charges की राशियाँ नहीं काटी जाती। अतः बैंक प्रबन्धन से इस मामले को उठाया जाये तथा Intercity Charges के रूप में काटी गई राशियों को वापिस खाते में जमा हेतु पग उठाये जाये तथा सभी (RLAs) को यह निर्देश दिए जाए कि राशियों को जमा करने से पहलें उन पर आवश्यक प्रमाण पत्र दिये जाऐं तथा ऐसे प्रकरणों में यथोचित कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि (RLAs) द्वारा जमा करवाई गई राशियों पर Intercity Charges न काटे जाए।

6 हिमाचल प्रदेश राज्य इलैक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन शिमला को कमपयूटर हार्डवेयर सामग्री की खरीद हेतु किए गए ₹296510/– के भुगतान से सम्बन्धित अनियमितताएंः–

सोसाईटी द्वारा वाउचर संख्या शून्य दिनांक 13.12.05 के अन्तर्गत तथा रसीद संख्या 208 दिनांक 17.12.2005 के अन्तर्गत ₹296510/– का भुगतान हिमाचल प्रदेश राज्य इलैक्ट्रानिक्स डिवलेपमैन्ट कार्पोरेशन शिमला को निम्न विवरणानुसार कम्पयूटर हार्डवेयर सामग्री की आपूति हेतु किया गया।

क्र0सं0	विवरण	मात्रा	दर	राशि
1	Server Configration PE 1800	1	104600	104600
2	Model Dell optiplus 6x620	3	31790	95370
3	UPS 3KVA	1	46170	46170
4	HP Laserjet 1022	1	8200	8200
5	TVS printer CPS	2	12215	24430
6	H.P. Desk Jet 6548 printer	1	8865	8865
7	8 Part Switches Mbps	1	1500	1500
8	Signature Pad	1	1975	1975

9	Pro 400 Camra (web)	1	5400	5400
			योग	**₹296510**

उपरोक्त वर्णित भुगतानों में निम्न विवरणानुसार अनियमितताऐं पाई गईः–

(क) अंकेक्षण में जाँच के दौरान सम्बन्धित नस्ति में निम्न विवरणानुसार बिल पाये गयेः–

क्र0सं0	बिल सं0	दिनांक	विवरण	मात्रा	दर	राशि
1	14154	31.3.06	3 KV UPS	1	46170	46170
2	14166	31.3.06	Web Camera	1	5670	5675
3	14288	31.3.06	Switch Part	1	1450	1450
4	14293	31.3.06	Signaline Pad	1	2065	2065
5	13848	31.3.06	Busines Interjet Printer	1	6204	6204
6	13846	31.3.06	HP Laserjet 1022	1	8200	8200
7	13847	31.3.06	TVS Printer	2	12215	24430
8	13762	31.3.06	Server Configralion	1	104600	104600
9	13762	31.3.06	Dell Computer	3	31790	95370
					योग	**₹294164**

इस प्रकार बिलों के आधार पर उपरोक्त वर्णित सामान हेतु ₹296510–₹294164=₹2346 का अधिक भुगतान एच0पी0एस0ई0डी0सी0 शिमला को किया गया जिसके कारण स्पष्ट किए जाएं तथा ₹2646/– की प्रतिपूर्ति उचित माध्यम से करके वापिस खाते में जमा करवाई जाए।

(ख) उपरोक्त वर्णित बिलों द्वारा भुगतान की गई राशियों को आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा भुगतान हेतु पारित किये बगैर ही भुगतान कर दिया गया जबकि नियमों के अनुसार यह भुगतान आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा बिलों का पारित करने के पश्चात ही किया जाना अपेक्षित था।

(ग) उपरोक्त वर्णित भुगतान से सम्बन्धित बिलों की केवल मात्र छाया प्रतियाँ ही नस्ति में संलग्न थी जबकि समस्त भुगतानों के मूल बिलों को प्रस्तुत करने पर ही भुगतान किया जाना अपेक्षित था।

7 सहायक अभियन्ता, इलैक्ट्रिकल पी0डब्लयू0डी0 नाहन को ₹150000 का प्रतिपूर्ति के आधार पर भुगतान की गई राशि को उचित स्त्रोत से वापिस न लने बारे मेंः–

जाँच के दौरान पाया गया कि सोसाईटी द्वारा चैक संख्या 4242171 के अन्तर्गत ₹150000 का भुगतान सहायक अभियन्ता, इलैक्ट्रिकल सब डिवीजन एच0पी0पी0डब्लयू0डी0

नाहन को पी0ओ0पी0 केन्द्र के Electrical Work करवाने हेतु किया गया। अध्यक्ष, ई0–गवर्नेन्स सोसाईटी सिरमौर के निर्देशानुसार यह राशि Recoupment के आधार पर भुगतान की गई, परन्तु अंकेक्षण अवधि तक इस राशि को Recoupe करके वापिस खाते में जमा नहीं करवाया गया था। अतः परामर्श दिया जाता है कि उक्त राशि की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करके वापिस खाते में जमा करवाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

8 एयर कण्डीशनर इत्यादि की खरीद हेतु किया गया किए गए ₹84703/– के भुगतान से सम्बन्धित अनियमितताएंः–

सोसाईटी द्वारा ₹84703/– का भुगतान मैसर्ज सुरिन्द्रा इलैक्ट्रानिक्स एण्ड जनरल स्टोर नाहन को निम्न विवरणानुसार 3 नं0 एयर कण्डीशनर की आपूर्ति हेतु किया गया।

क्र0सं0	बिल सं0/दिनांक	रसीद संख्या/दिनांक	विवरण	राशि
1	3339/15.5.10	1486/20.5.10	1.5 T Window AC Hot & cold L.G.	31950
2	3379/1.6.10	1500/2.6.10	1-5 T window AC L.G,. with Stepliser	27017
3	3380/1.6.10	1499/शून्य	1-5 T window AC L.G. with MCB	25736
			योग	**₹84703**

उपरोक्त वर्णित बिलों की जाँच करने पर निम्नलिखित अनियमितताऐं पाई गई जिनका निपटारा करके किये गये व्यय को नियमों के अन्तर्गत भी उचित ठहराया जाये।

(क) उपरोक्त वर्णित बिलों का भुगतान आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा बिलों को भुगतान हेतु पारित किये बगैर ही कर दिया गया, जबकि नियमों के अन्तर्गत बिलों का भुगतान आहरण एवं वितरण अधिकारी (D.D.O.) द्वारा बिलों का भुगतान हेतु पारित करने के पश्चात ही किया जाना अपेक्षित था। अतः बिना भुगतान हेतु पारित किये गए बिलों के भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अब इस प्रकरण में अपेक्षित कार्रवई अमल में लाई जाए।

(ख) उपरोक्त वर्णित एयर कण्डीशनर की कार्यालय में वास्तविक प्राप्ति रिपोर्ट की किसी कमेटी के द्वारा नहीं दी गई है, जबकि नियमों के अनुसार एयर कण्डीशनर के कार्यालय में प्राप्त होने के पश्चात क्रय समिति द्वारा जाँच के उपरान्त Inspection Report दी जानी अपेक्षित थी।

(ग) उपरोक्त विवरणानुसार क्रय किये गये एयर कण्डीशनर की नियमानुसार कार्यालय में प्राप्ति के पश्चात सम्बन्धित कम्पनी के अधिकृत Engineer द्वारा इन्हें स्थापित करके इनकी Installation की Report दी जानी अपेक्षित थी, जबकि कम्पनी के किसी भी अधिकत Engineer द्वारा इनकी Installation Report नहीं दी गई है जिसके कारण स्पष्ट किए जाएं।

(घ) उपरोक्त वर्णित Air Conditioners हेतु किया गया व्यय हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या TPT (1) 3/2000-e-Governance दिनाँक 03.09.2005 के अनुसार ई0

गवर्नेन्स निधि पर वैध प्रभार नहीं है। अतः अनियमित रूप से किये गये इस व्यय का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा सक्षम अधिकारी की विशेष स्वीकृति लेकर इसे नियमित करवाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

9 मै0 ग्रीन डिपार्टमैन्टल स्टोर पौंटा साहिब से 15 नम्बर एक्वागार्ड की खरीद पर ₹164850/– के भुगतान से सम्बन्धित अनियमितताएंः–

(क) वाऊचर संख्या शून्य, दिनांक 31.7.10 के अन्तर्गत 164850/– का भुगतान मै0 ग्रीन डिपार्टमैन्टल स्टोर, बद्रीनगर, पौंटा साहिब का उनके बिल संख्या 307 दिनांक 13.7.10 तथा रसीद संख्या शून्य दिनांक 31.7.10 के अन्तर्गत 15 नम्बर एक्वागार्ड इत्यादि की आपूर्ति हेतु किया गया। वाउचर की जांच करने पर पाया गया कि इन एक्वागार्डों को जिला सिरमौर के विभिन्न तहसील तथा सब–तहसील कार्यालयों में स्थापित करवाया गया है परन्तु न तो इनकी कार्यालय में प्राप्ति पर जाँच रिपोर्ट किसी समिति द्वारा दी गई है न ही इनको स्थापित करने से सम्बन्धित रिपोर्ट सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता द्वारा दी गई है। अतः जिन तहसील व सब तहसीलों में यह एक्वागार्ड स्थापित किये गये है उन कार्यालयों से इनकी वास्तविक प्राप्ति रसीद तथा इनको स्थापित करने से सम्बन्धित रिपोर्ट प्राप्त की जाए।

(ख) इसके अतिरिक्त उक्त एक्वागार्डों की खरीद पर किया गया व्यय ई–गवर्नेन्स निधि पर उचित प्रभार प्रतीत नहीं होता है। अतः नियमों के अन्तर्गत उपरोक्त किये गये व्यय को उचित ठहराया जाए।

10 Bio-Metric Attendence Machine के क्रय हेतु ₹65107/– का अनियमित भुगतान करनाः–

एच0पी0जी0आई0सी0 Ltd. शिमला को उनके बिल संख्या 1393 दिनांक 28.12.10 के एवज में निम्नविवरणानुसार ₹65107 का भुगतान चैक संख्या 6457462 द्वारा 2 नं0 Bio-Metric Attendence System Machines की आपूर्ति हेतु किया गया।

क्र0सं0	विवरण	मात्रा	दर	राशि
1	X 990 FP Machine	2	18000	36000
2	Stylish Frame	2	3500	7000
3	Soft ware	1	3000	3000
4	Cat 6 wire	90 mtr	60	5400
5	Net work Switches	1	1500	1500
6	Lane Conectiuity	6	25	150
7	Power Suply	2	800	1600
				54650
			वैट 5%	2733
				57383
			Installation Chares	7000

S. Tax 10.2%	724
G.Total	**65107**

बिल की जाँच करने पर निम्नलिखित अनियमितताऐं पाई गईः–

(क) उपरोक्त वर्णित Bio-Metric Attendence System Machines को क्रय करने से पूर्व इसकी स्वीकृति ई–गवर्नेन्स सोसाईटी से ली जानी अपेक्षित थी परन्तु सोसाईटी द्वारा इसकी सक्षम अधिकारी से स्वीकृति के बगैर ही इसका क्रय कर लिया गया, जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुये इसकी कार्योत्तर स्वीकृति सोसाईटी से प्राप्त की जाए।

(ख) अंकेक्षण में जाँच के दौरान उपरोक्त वर्णित क्रय की गई Bio-Metric Attendence System, Machines के मूल्य से सम्बन्धित "Performa Invoice" प्रस्तुत नहीं करवाई गई जिसके परिणामस्वरूप भुगतान की गई राशियो ंकी जाँच नहीं की जा सकी।

(ग) उपरोक्त विवरणानुसार क्रय की गई Bio-Metric Attendence System, Machines की कार्यालय में प्राप्ति के उपरान्त किसी भी समिति द्वारा जाँच के उपरान्त इसकी जाँच रिपोर्ट नहीं दी गई है। इसके अतिरिक्त क्रय की गई मशीनों की स्थापना रिपोर्ट भी अधिकृत ईन्जीनियर द्वारा नहीं दी गई है जिसके कारण स्पष्ट किए जाऐं तथा अब अपेक्षित रिपोर्ट प्राप्त करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

11 अध्यक्ष बार एसोसिएशन नाहन को फर्नीचर के क्रय हेतु ₹50000/– का अनियमित भुगतान करनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 8.10.10 को ₹50000/– का भुगतान अध्यक्ष बार एसोसिएशन नाहन को फर्नीचर ईत्यादि के क्रय हेतु किया गया। नियमानुसार ई–गवर्नेन्स निधि खाते से कोई भी भुगतान ई0–गवर्नेन्स सोसाईटी को गतिविधियों हेतु सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से किया जा सकता है तथा यह भुगतान ई–गवर्नेन्स निधि पर उचित प्रभार नहीं है। अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के बिना किये गये इस अनाधिकृत भुगतान का औचित्य स्पष्ट करते हुये अनियमित रूप से भुगतान की गई ₹50000/– की प्रतिपूर्ति उचित माध्यम से करके अपेक्षित राशि वापिस सोसाईटी के खाते में जमा करवाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

12 औपचारिकताऐं पूर्ण किये बगैर ही कार्यालय प्रयोग हेतु ₹136588/– की Revolving Chairs की खरीद करनाः–

हिमाचल प्रदेश स्टेट को0 ओ0 एम0एण्डसी0 फैडरेशन लिमिटेड शिमला को निम्न विवरणानुसार बिलों द्वारा क्रय की गई (Revolving) कुर्सियों हेतु ₹136588/– का भुगतान किया गया।

क्र0सं0	बिल सं0/दिनांक	विवरण	मात्रा	दर	राशि
1	438/9.12.10	Office Chair (Godrej (7101)	6	5802	34812
2	438/9.12.10	Office Chair (Godrej (7102)	10	5139	51390
3	437/9.12.10	Office Chair (DCH) 7104 (R)	1	5802	5802
4	437/9.12.10	Office Table T (104)	1	14302	14302
5	437/9.12.10	Office Almirah (S)	1	11134	11134
				वैट	16148
				Fraisht	3000
				G. Total	**136588**

उपरोक्त वर्णित क्रय किये गये फर्नीचर को क्रय करने से पूर्व किसी भी प्रकार की औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया गया जबकि इस क्रय से पूर्व निम्नविवरणानुसार औपचारिकताऐं पूरी की जानी अपेक्षित थी।

(क) एक क्रय समिति का गठन करके क्रय समिति द्वारा सम्बन्धित उपक्रम से उपरोक्त क्रय किये गये फर्नीचर से सम्बन्धित मदो ंकी Performa Invoice मूल्य सूची मंगवाई जानी अपेक्षित थी जबकि उपरोक्त क्रय किये गये फर्नीचर में ₹3000/– का भुगतान किराये (Freight) के रूप मे उक्त संस्था को किया गया है, जबकि Perferma Invoice की अनुपस्थिति में यह जाँच सम्भव नहीं हो सकी कि वास्तव में फर्नीचर का मूल्य F.O.R. था या नहीं। अतः सम्बन्धित संस्था से क्रय फर्नीचर की Perferma Invoice मूल्य सूची प्राप्त की जाए तथा अगर फर्नीचर के Performa मूल्य FOR है तो ₹3000/– की पतिपूर्ति सम्बन्धित संस्था से करके वापिस खाते में जमा करवाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

(ख) उपरोक्त विवरणानुसार क्रय मदों हेतु लिखित में आपूर्ति आदेश सम्बन्धित उपक्रम को भेजा जाना अपेक्षित था।

(ग) क्रय किये गये फर्नीचर की प्राप्ति के उपरान्त क्रय समिति द्वारा जाँच करके जाँच रिपोर्ट दी जानी अपेक्षित थी। अतः उक्त अनियमितताओं को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाकर इस प्रकरण में यथोचित कार्रवाई भी अमल में लाई जाए।

13 वाहन संख्या एच0पी0–79–0003 की Asseseries हेतु श्री धर्म सिंह (जिला नाजर) को ऋण के रूप में भुगतान की गई ₹50000/– को वापिस न लने बारे में:–

जाँच के दौरान पाया गया कि ₹50000/– का भुगतान श्री धर्मसिंह (जिला नाजर) को दिनांक 15.6.13 को ऋण के रूप में वाहन संख्या एच0पी0–79–0003 की Asseseries हेतु किया गया, परन्तु लगभग 1½ वर्ष बीत जाने के पश्चात यह राशि वसूली हेतु शेष थी। अतः अतिशीघ्र इस ₹50000/– को वसूल करने हेतु आवश्यक पग उठाये जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

14 आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा वाउचरों/बिलां को भुगतान हेतु पारित किये बगैर भुगतान करना:–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान ई–गवर्नेन्स निधि खाते से किये गये लगभग सभी भुगतान आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा वाउचरों/बिलों के भुगतान हेतु पारित किये बगैर ही कर दिये गय है, जबकि नियमानुसार प्रत्येक भुगतान आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा बिलों को पारित करने के पश्चात ही किया जा सकता है। अतः नियमों की अवहेलना करके तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा बिलों को भुगतान हेतु पारित किये बगैर ही भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए वाँछित कार्रवाई अब अमल में लाई जाए तथा समस्त भुगतानो को भुगतान हेतु पारित करवाकर अनुपालना स इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

15 रोकड़ बही को आहरण एवं वितरण/नियन्त्रक अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित न करना:–

जाँच के दौरान पाया गया कि ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) नाहन की दिनांक 8.5.12 से 4.2.13 की रोकड़ बही का सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं किया गया है जबकि नियमों के अनुसार प्रत्येक दिन रोकड़ बही का शेष निकालकर उसे आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाया जाना अपेक्षित था। अतः रोकड़बही को सत्यापित न करवाने का औचित्य स्पष्ट करते हुये इस प्रकरण में आवश्यक कार्रवाई अब अमल में लाई जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

16 उपमण्डल अधिकारी (ना0) संगडाह को Refrence Books इत्यादि की खरीद हेतु ₹100000/– का अनियमित भुगतान करना:–

उप मण्डल अधिकारी (ना0) संगडाह को चैक संख्या 06524793 दिनांक 26.6.12 द्वारा Refrence Books इत्यादि की खरीद हेतु ₹100000/– का भुगतान किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0–एफ(1) 3/2000–ई–गवर्नेन्स दिनांक 3.9.05 के अनुसार यह भुगतान ई–गवर्नेन्स निधि के खाते पर वैध प्रभार नहीं है। इसके अतिरिक्त उपमण्डल अधिकारी (ना0) संगडाह द्वारा इस राशि के प्रयोग से सम्बन्धित प्रमाण पत्र भी नहीं दिया गया है कि वास्तव में राशि उस उद्देश्य पर व्यय कर दी गई है जिस हेतु प्राप्त

की थी। अतः उक्त भुगतान की प्रतिपूर्ति करके इसे सम्बन्धित निधि के खाते में जमा करवाया जाए।

17 उप मण्डल अधिकारी (ना0) संगडाह को फर्नीचर इत्यादि की खरीद के लिए ऋण के रूप में ₹86000/– का अनियमित भुगतान करनाः–

जाँच के दौरान पाया गया कि फर्नीचर इत्यादि के क्रय हेतु चैक संख्या 440978 द्वारा दिनांक 31.1.13 को ₹86000/– का भुगतान उप मण्डल अधिकारी (ना0) संगडाह को ऋण के रूप में किया गया। नियमों के अनुसार इस राशि को उप मण्डल अधिकारी (ना0) से वापिस वसूला जाना अपेक्षित था परन्तु लगभग दो वर्ष बीत जाने के पश्चात भी उक्त अधिकारी द्वारा यह राशि नहीं लौटाई गई है। अतः ऋण के रूप में भुगतान की गई इस राशि की शीघ्र वसूली हेतु उचित पग उठाएं जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

18 20 नम्बर NCL 300 Terminar की खरीद हेतु मैसर्ज Next Genration कम्पयूटर चण्डीगढ़ का किए गए ₹165270/– से सम्बन्धित अनियमितताएंः–

वाउचर संख्या शून्य, माह 3/13 के अन्तर्गत ₹165270/– का भुगतान मैसर्ज Next Generation कम्पयूटर चण्डीगढ़ को उनकी Invoice संख्या NGC/12-13/457 दिनांक 28.2.13 के एवज में 20 नं0 NCL 300 Terminal की खरीद हेतु किया गया। वाउचर/बिल की विस्तारपूर्वक जाँच करने पर निम्नविवरणानुसार अनियमितताऐं पाई गई जिनका निपटारा करके किये गये भुगतान को उचित ठहराया जाए।

(क) उपरोक्त विवरणानुसार क्रय किये गये 20 नम्बर NCL 300 Terminal का Delivery Challan अंकेक्षण के दौरान जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

(ख) हिमाचल प्रदेश सरकार Excise and Taxation Deptt. द्वारा जारी हिमाचल प्रदेश टोल बैरियर सेल टैक्स से प्राप्त Clearence प्रमाण पत्र भी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं करवाया गया।

(ग) क्रय किये गये सामान की कायालय में वास्तविक प्राप्ति की किसी भी समिति द्वारा जाँच नहीं की गई।

(घ) उपरोक्त वर्णित 20 नं0 CL 300 Terminal को नियमों के अनुसार स्टॉक रजिस्टर पर दर्ज नहीं किया गया।

(ङ) इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट नहीं किया गया उक्त वर्णित क्रय किन नियमों के अन्तर्गत निधि पर उचित प्रभार है, क्योंकि उक्त भुगतान ई0 गवर्नेन्स निधि पर उचित प्रभार प्रतीत नहीं होता है।

19 सोसाईटी द्वारा तहसीलदार रेणुका स्थित संगडाह को किए गए ₹26000/– के भुगतान से सम्बन्धित अनियमितताएंः–

जाँच के दौरान पाया गया कि ₹26000/– का भुगतान तहसीलदार रेणुका जी स्थित संगडाह को चैक संख्या 5479864 दिनांक 12.5.10 द्वारा कम्पयूटर रूम के Upgradation हेतु किया गया। नियमानुसार उपरोक्त कार्य पूर्ण होने पर इस राशि से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र उक्त कार्यालय से प्राप्त किया जाना अपेक्षित था परन्तु राशि का भुगतान करने के लगभग 4 वर्ष बीत जाने के पश्चात भी उक्त कार्यालय द्वारा इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र (U.C.) नहीं दिया गया। अतः परामर्श दिया जाता है कि भुगतान की गई राशि के उपयोग से सम्बन्धित प्रमाण पत्र उक्त कार्यालय से प्राप्त करके वांछित अभिलेख को आगामी अंकेक्षण पर जाँच हेतु प्रस्तुत करवाया जाए।

20 क्रय की गई सामग्री की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टियाँ लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत न करनाः–

(क) ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) नाहन के लेखों के अंकेक्षण के टैस्ट चैक के दौरान पाया गया कि केन्द्रीय ईकाई द्वारा समय–2 पर निम्नलिखित बिलों के अन्तर्गत जो सामग्री खरीदी गई उसकी प्रविष्टियाँ स्टॉक रजिस्टर पर नहीं की गई प्रतीत होती है, क्योंकि उक्त बिलों पर कहीं भी स्टॉक रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों का प्रमाण पत्र नहीं पाया गया। अतः इन बिलों द्वारा क्रय की गई सामग्री की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टियाँ न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

क्र0सं0	Invoice Bill No.	दिनांक	फर्म का नाम	सामग्री का ब्यौरा	दर	मात्रा	राशि
1	55/3742/12–13	19.3.13	Sonshine Compulin Paunta	Dell Laptop	34850	1	34850
2	Bill No. 1111	28.3.13	M/S Thakur Comuncation	Canon LBP 3010 Printre	10080	1	10080
3	Bill No. 30118	22.3.13	HPSEDC Ltd Shimla	5 KVA UPS	100170	1	100170
4	3004	16.3.13	New Univercity Center Nahan	LCD/TFT/(EI) Minilar TVS Desic Key	1800 650	20 20	96000 13000
5	2090	1.3.13	New Univercity Center Nahan	HP Note book	44415	1	44415
6	15480	15.12.06	H.P. State Elec. Carp. Shimla	Server Conferqution	106677	1	100677
	15480	15.12.06	H.P. State Elec. Carp. Shimla	Dell opliplet	31221	1	31221
7	15481	15.12.06	HP SEDC Shimla	HP Business Inkjet	5769	1	5769

	15481	15.12.06	HP SEDC Shimla	Web Camera	5280	1	5280
	15481	15.12.06	HP SEDC Shimla	Signaler Pad	2260	1	2260
	15481	15.12.06	HP SEDC Shimla	HP 1022 Laser Jet	7885	1	7885
	15481	15.12.06	HP SEDC Shimla	Web HQ 1070 DXPrinter	11745	1	11745

(ख) उपरोक्त वर्णित सामग्री के अतिरिक्त दिनांक 13.12.12 के पश्चात ई–गवर्नेन्स (केन्द्रीय ईकाई) निधि से क्रय किये गये सामान की प्रविष्टियाँ स्टॉक रजिस्टर पर नहीं की गई है जिसके कारण स्पष्ट करते हुये अतिशीघ्र वांछित कार्रवाई अमल में लाकर तथा वाँछित स्टॉक प्रविष्टियाँ करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त सोसाईटी द्वारा अंकेक्षण अवधि में क्रय की गई तथा प्राप्त की गई अन्य समस्त मदो की भी संस्था स्तर पर जाँच करके अपेक्षित प्रविष्टियाँ स्टॉक रजिस्टर पर की जाए तथा जिन कर्मचारियो ंया विभागों को सामग्री जारी की गई उनसे पावतियाँ भी प्राप्त की जाए।

21 अभिलेख प्रस्तुत न करनाः–

ई–गवर्नेन्स सोसाईटी केन्द्रीय ईकाई नाहन की रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या 91 के अनुसार दिनांक 6.5.10 को ₹20320/– का भुगतान चैक संख्या 5479860 द्वारा Hospitality Charges के रूप में किया गया दर्शाया है, परन्तु इस भुगतान से सम्बन्धित दस्तावेज/अभिलेख/वाउचर इत्यादि जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं करवाए गए, जिसके फलस्वरूप भुगतान की सत्यता की जाँच नहीं की जा सकी। अतः वाँछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर जाँच हेतु प्रस्तुत करके व्यय को उचित ठहराया जाये।

22 विविधः–

ई0. गवर्नेन्स सोसाईटी (केन्द्रीय ईकाई) नाहन द्वारा समय–2 पर जिले की विभिन्न ई–गवर्नेन्स सोसाईटियों (RLAs) को विभिन्न पकार सामग्री की मदें जारी की गई तथा जिला सिरमौर की विभिन्न ई–गवर्नेन्स सोसाईटियों (RLAs) तथा अन्य अथौरटीज द्वारा भी केन्द्रीय ईकाई नाहन को समय–2 पर केन्द्रीय ईकाई के हिस्से के रूप में राशियां भेजी गई परन्तु इनका मिलान केन्द्रीय ईकाई द्वारा सम्बन्धित (RLAs) तथा अन्य अथौरटीज के साथ नहीं किया गया है। अतः इस सन्दर्भ में भी अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

23 लघु आपत्ति विवरणीः– यह अलग से जारी नहीं की गई है।

24 निष्कर्षः– लेखाओं के रख रखाव में अत्याधिक सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)(सी)(15)(xii)42/2015–2928–2932 दिनांक28.05.2015, शिमला–09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृतः–1 उप मण्डल अधिकारी एवं सचिव (केन्द्रीय ईकाई) नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करवाकर सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

2 जिलाधीश सिरमौर जिला सिरमौर (हि0प्र0)

3 निदेशक (परिवहन विभाग) हि0प्र0 शिमला–03

4 विशेष सचिव (परिवहन) हि0प्र0 शिमला–02

5 श्री विरेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा..........................

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.